Advertisement of the notice of the NCLT convened meeting of Unsecured Creditors of the Company in Business Standard (English) dated September 27, 2017

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) – 83(ND) / 2017

IN THE MATTER OF:

SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS, IF ANY, OF THE COMPANIES ACT, 2013, READ WITH THE RULES FRAMED THEREUNDER

AND IN THE MATTER OF:

NIIT TECHNOLOGIES LIMITED [CIN NO.L65993DL1992PLC048753], A COMPANY INCORPORATED UNDER THE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT 8, BALAJI ESTATE, FIRST FLOOR, GURU RAVI DAS MARG, KALKAJI, NEW DELHI-110019; PAN: AAACN0332P ; EMAIL: INVESTORS@NIIT-TECH.COM; WEBSITE: WWW.NIIT-TECH.COM, TEL NO. 011-41675000, FAX NO. 011-41407120

AND IN THE MATTER OF:

SCHEME OF AMALGAMATION BETWEEN PIPL BUSINESS ADVISORS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED ("AMALGAMATING COMPANY 1") AND GSPL ADVISORY SERVICES AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED ("AMALGAMATING COMPANY 2") AND NIIT TECHNOLOGIES LIMITED ("AMALGAMATED COMPANY"/"COMPANY") AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

NOTICE CONVENING MEETING OF THE UNSECURED CREDITORS OF NIIT TECHNOLOGIES LIMITED ("THE COMPANY").

NOTICE is hereby given that by an Order dated September 22, 2017, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench at New Delhi ("Tribunal") has directed that a meeting of the Unsecured Creditors of the Company ("Meeting") be held at 2.00 P.M. on Saturday, the 28th day of October 2017 at The Ocean Pearl Retreat, Chattarpur Mandir Road, Satbari, New Delhi – 110 074, for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the Scheme of Amalgamation between PIPL Business Advisors and Investment Private Limited ("Amalgamating Company 1") and GSPL Advisory Services and Investment Private Limited ("Amalgamating Company 2") and NIIT Technologies Limited ("Amalgamated Company") and their respective Shareholders and Creditors ("Scheme").

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that a meeting of the Unsecured Creditors of the Company will be held at 2.00 P.M. on Saturday, the 28th day of October 2017 at The Ocean Pearl Retreat, Chattarpur Mandir Road, Satbari, New Delhi – 110074, where the Unsecured Creditors are requested to attend.

Copy of the Scheme and the Statement under Section 230 read with section 102 of the Companies Act, 2013 can be obtained free of charge at the Registered Office of the Company at 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi ("Registered Office") or at the office of the Company's Advocate, M/s Shardul Amarchand Mangaldas & Co. at Amarchand Towers, 216, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi - 110020.

Unsecured Creditors entitled to attend and vote at the Meeting, may vote in person or by proxy, provided that the proxy in the prescribed form is deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Form of proxy can also be obtained from the Registered Office of the Company.

The National Company Law Tribunal, Principal Bench at New Delhi has appointed Mr. Krishnendu Datta, Advocate to be the chairperson and Mr. N.P.S Chawla, Advocate, to be the Alternate Chairperson of the said Meeting.

Dated this 26th day of September, 2017. Mr. N.P.S. Chawla (Alternate Chairperson appointed for the meeting) 12 जनसत्ता, 27 सितंबर, 2017

राष्ट्रीय कम्पनी विधिक अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए)-83(एनडी)/2017

इसके मामले में :

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अन्तर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों,

तथा इसके मामले में :

एनआइआइटी टेक्नॉलाजिज लिमिटेड (सीआइएन सं. एल65993डीएल1992पीएलसी048753), एक कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 में है और जिसका

पैन : एएएसीएन0332पी, इ—मेल : investors@niit-tech.com, वेबसाइट : www.niit-tech.com, दूरभाष : 011—41675000, फैक्स सं.: 011—41407120 है ।

तथा इसके मामले में :

पीआइपीएल बिजनेस एडवाइजर्स एंड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (''एकीकरण करनेवाली कम्पनी 1'') तथा जीएसपीएल एडवाइजरी सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (''एकीकरण करनेवाली कम्पनी 2'') तथा एनआइआइटी टेक्नॉलाजिज लिमिटेड (''एकीकृत कम्पनी''/''कम्पनी'') और उसके सम्बन्धित अंशधारकों तथा लेनदारों के मध्य एकीकरण की योजना

एनआइआइटी टेक्नॉलाजिज लिमिटेड (''द कम्पनी'') के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक आयोजन करने की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधिक अधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली (''अधिकरण'') ने एक आदेश दिनांक 22 सितंबर, 2017 द्वारा निर्देश दिया है कि कम्पनी के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक (''बैठक'') का आयोजन शनिवार 28 अक्टूबर, 2017 को अप. 2.00 बजे द ओशिएन पर्ल रिट्रीट, छतंरपुर मन्दिर मार्ग, सतबाड़ी, नई दिल्ली–110 074 में किया जाएगा, जिसका उददेश्य पीआइपीएल बिजनेस एडवाइजर्स एंड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (''एकीकरण करनेवाली कम्पनी 1'') तथा जीएसपीएल एडवाइजरी सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (''एकीकरण करनेवाली कम्पनी 2'') तथा एनआइआइटी टेक्नॉलाजिज लिमिटेड (''एकीक्त्त कम्पनी''/''कम्पनी'') और उसके सम्बन्धित अंशधारकों तथा लेनदारों के मध्य एकीकरण की योजना (''योजना'') पर विचार करना, तथा यदि उचित समझा गया, तो संशोधनों के साथ अथवा इनके बिना उसका अनुमोदन करना होगा।

उक्त आदेश का तथा उसमें निर्देशितानुसार निबंधों के अनुपालन के अन्तर्गत आगे यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक का आयोजन शनिवार 28 अक्टूबर, 2017 को अप. 20.00 बजे द ओशिएन पर्ल रिट्रीट, छतरपुर मन्दिर मार्ग, सतबाड़ी, नई दिल्ली—110 074 में किया जाएगा, जहां उपस्थित होने के लिए अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध किया जाता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के साथ पठित धारा 230 के अन्तर्गत योजना तथा व्याख्यात्मक विवरण की प्रति 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली—110019 (''पंजीकृत कार्यालय'') के पंजीकृत कार्यालय अथवा कम्पनी के अधिवक्ता के कार्यालय मै. शार्दुल अमरचन्द मंगलदास एंड कम्पनी, अमरचन्द टॉवर्स, 216, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज–।।।, नई दिल्ली—110020 से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

ऐसे अप्रतिभूत लेनदार जिन्हें बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने का अधिकार है, वे व्यक्तिगत रूप में अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर बैठक प्रारम्भ होने के न्यूनंतम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करनी होगी। प्रतिनिधि प्रपत्र भी कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कम्पनी विधिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने उक्त बैठक के लिए श्री कृष्णनेन्दू दत्ता, अधिवक्ता को अध्यक्ष तथा श्री एन.पी.एस. चावला, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

दिनांक : 26 सितंबर, 2017

श्री एन.पी.एस. चावला (बैठक हेतु नियुक्त वैकल्पिक अध्यक्ष)